

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 14 /2025 दिनांक :18.01.2025

श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) को दिनांक 30.01.2025 से 13.02.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती व्यास की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



18/01/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/03/2015/ 644

दिनांक :18.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 241 दिनांक 09.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।


18/01/25
सहायक रजिस्ट्रार